न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **63/2020**
GCMS NO. : **2020/00096**

–:: प्रार्थीगण ::–

1. माधुराम पुत्र श्री कल्याणराम
2. सुखाराम पुत्र श्री कल्याणराम
3. नेमीचन्द पुत्र श्री कल्याणराम
4. मोहनलाल पुत्र सरदारराम
5. रतनलाल पुत्र सरदारराम
6. भूरी देवी पत्नि सरदारराम
7. श्रवण कुमार पुत्र भोलाराम
8. सत्यनारायण पुत्र भोलाराम
9. राधेश्याम पुत्र भोलाराम
10. कैलाश चन्द पुत्र भोलाराम
11. भंवरलाल पुत्र किशनाराम
12. कानाराम पुत्र किशनाराम
13. ओगड़राम पुत्र किशनाराम
14. बगदाराम पुत्र हापु
15. सोहनलाल पुत्र हापु
16. सुगनाराम पुत्र हापु
17. जीता पुत्र धोकल
18. माधु पुत्र जीता
19. पाबु पुत्र जीता
20. तेजा पुत्र जीता
21. मला पुत्र जीता
22. हेमाराम पुत्र नारायण
23. रूपाराम पुत्र नारायण
24. धर्माराम पुत्र नारायण
25. चम्पालाल पुत्र नारायण
26. ओगड़ पुत्र भाना
27. पुकाराम पुत्र पोकरराम
28. जोगाराम पुत्र सुजाराम
29. गंगाराम पुत्र उदाराम

सभी जातियान– कुमावत, निवासी– वेरा जाटा वाला खिनावड़ीद्ध तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान,

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. अणदाराम पुत्र मंगलाराम जाति– कुमावत, निवासी– वेरा जाटा वाला खिनावड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख [illegible]/06/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:40 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 05/01/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक काउण्टर प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी धर्माराम व अन्य की

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

खातेदारी को कारत की कृषि भूमि राजस्व मौजा खिनावड़ी पटवार हल्का फुलमाल भू अभिलेख निरीक्षण क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली (राजस्थान) में स्थित है जिसका विवरण निम्नलिखित है कि खसरा नम्बर 221 रकबा 16-18 बीघा, खसरा नम्बर 211 रकबा 00-17 बीघा, खसरा नम्बर 212 रकबा 09-04 बीघा, खसरा नम्बर 213 रकबा 09-13 बीघा, खसरा नम्बर 214 रकबा 01-14 बीघा खसरा नम्बर 215 रकबा 18-18 बीघा, खसरा नम्बर 216 रकबा 156-08 बीघा खसरा नम्बर 222 रकबा 00-17 बीघा कुल खसरा 08 कुल रकबा 214-09 बीघा की भूमि की आई हुई है। इस भूमि में पक्षकारान का कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा है तथा पक्षकारान का उक्त हक हिस्से राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार है। राजस्व रेकर्ड चौसाला जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संवत् 2075 से 2078 की इस काउण्टर प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। तथा उपर वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि को काउण्टर प्रार्थनापत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। काउण्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि वेरा जाटा वाला व उसका जाव पक्षकारो के बीच संयुक्त व सामलाती है तथा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नही हो रखा है तथा मौके पर नाप चौप व माठे भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के नाप चौप करते हुये नहीं की गई है इस वजह से अणदाराम व अन्य हिस्सेदारी के बीच भूमि के नाप चौप व बंटवारे को लेकर कई बार विवाद भी होता है। इसी प्रकार एनएच 112 के लिये खसरा नम्बर 216 की भूमि में से कुल भूमि अवाप्त हुई है जिसकी मुआवजा की राशि भी माफिक हिस्से अनुसार सभी पक्षकारान लेना चाहते है लेकिन उसमें भी सह हिस्सेदार अणदाराम ऐतराज कर रहा है तथा अकेला ही सम्पूर्ण मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहा रहा है जबकि मौके व राजस्व रेकर्ड अनुसार सभी हिस्सेदारो की संयुक्त भूमि अवाप्त हुई है। इस वजह से मुआवजा राशि भी सभी हिस्सेदार प्राप्त करने के अधिकारी है परन्तु अणदाराम द्वारा इस बाबत ऐतराज कर देने से मुआवजा राशि अभी भी भूमि अवाप्त अधिकार/एस डी एम साहब जैतारण के यहां पर जमा है। जिसे सभी हिस्सेदार माफिक अपने हिस्से अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। काउण्टर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 01 में वर्णित विवादित भूमि का काउण्टर वादकर्तागण बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस के बंटवाड़ा करवाना चाहते है तथा मौके पर भी पेमाईश करवाना चाह रहे है। लेकिन सहहिस्सेदार अणदाराम सहमत नहीं है तथा अणदाराम विशिष्ट भू भाग को अपना होना बताकर उस पर पक्का निर्माण दुकाने बनाने को आमादा है। जबकि काउण्टर वादकर्तागण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के इस विवादित भूमि का बंटवाड़ा चाहते है। जिसमें सहहिस्सेदार अणदाराम सहमत नही होने से तथा दिनांक 08.06.2020 को अणदाराम द्वारा बंटवाड़ा करवाने व उसमें सहमति देने से इंकार कर देने पर काउण्टर वादकर्तागण के पास यह काउण्टर प्रार्थनापत्र [illegible] कोई विकल्प शेष नही रहने से यह काउण्टर प्रार्थना पत्र बाबत विवादित भूमि [illegible] बंटवाड़ा हेतू सादर पेश है। विवादित भूमि प्रार्थीगण व दीगर हिस्सेदारों के [illegible] शामलाती राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका प्रार्थीगण माफिक हिस्से अनुसार अपना उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा भी बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस के करवाना चाह [illegible] है लेकिन अप्रार्थीगण अणदाराम उसमें सहमत नहीं हो रहे है एवं मौके पर बिना बंटवाड़ा करवाये ही खसरा नम्बर 216 जो की एन.एचत्र 112 निमाज जैतारण हाइवे से चिपते हुये विशिष्ट भू भाग जो अपना होना बताकर मौके पर पक्की दुकानें बनाने को आमादा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अणदाराम ने इस बाबत् मौके पर नींव की खुदवाई करवाकर निर्माण सामग्री पत्थर इत्यादि भी डाल दिये है। जबकि उक्त भूमि पक्षकारों की संयुक्त व सामलाती कृषि भूमि है तथा निर्माण बाबत न तो कोई भू रूपान्तरण हुआ न ही अणदाराम ने इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है तथा मौके पर सहहिस्सेदारों से जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा व विवाद करते हुए निर्माण कार्य करवा रहा है जिसे रोका जाना आवश्यक है। दिनांक 08.06.2020 को अणदाराम ने मौके पर दुकाने बनाने के प्रयोजनार्थ विवादित भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर अपने नीवें खुदवा दी है व बंटवाड़ा करवाने से भी इंकार कर दिया है। इस प्रकार ये यदि अणदाराम उक्त दुष्कृत्य करनें में सफल हो जाता है एवं यदि उक्त अणदाराम प्रार्थीगण को लाठी लकड़ी के बल पर इस विवादित भूमि से बेकाबिज कर देता है तो प्राथीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। साथ भी प्रार्थीगण इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में अणदाराम के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगें। जिससे विवाद बढ़ेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रार्थीगण के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह काउण्टर प्रार्थना पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से काउण्टर प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश है। समस्त तथ्यो परिस्थितियो व दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टयां मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण इस विवादित भूमि की रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है जिन्हे लाठी लकड़ी के बल पर इस विवादित भूमि से बेकाबिज कर दिया जाता है तथा एनएच 112 से चिपते हुये पूर्वी तरफ यदि अप्रार्थीगण अणदाराम अपनी पक्की दुकाने बना लेता एवं निर्माण कार्य कर लेता है तो प्रार्थीगण इस भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति कतई सम्भव नही होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के सादर प्रस्तुत है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय व आदेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण अणदाराम व अन्य के इस आशय की जारी फरमावे कि इस काउण्टर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की सम्पूर्ण भूमि मे मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार के नव निर्माण नही करे न ही कोई दुकाने चार दिवारी इत्यादि बनावें ऐसा करने से व प्रार्थीगण के इस काउण्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित हिस्से अनुसार प्रार्थीगण की कब्जा सुदा व हक सुदा एवं खातेदारी सुदा भूमि पर प्रार्थीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य करवावे तो उसमें अप्रार्थीगण स्वयं एवं उनके पारिवारिक सदस्य हाली एजेन्ट, रिश्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व [illegible] कोई बाधा व अड़चन ही पैदा करें। इस आशय की अस्थाई निषे[illegible] के [illegible]र्णय बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के काउण्टर वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक [illegible] सादर फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:40 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] प्रार्थी ने जवाब काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश किया कि काउण्टर प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक का जवाब है कि राजस्व मौजा खिनावड़ी पटवार हल्का फूलमाल में प्रार्थीगण व अप्रार्थी की राजस्व रेकर्ड में सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई है। जो पद संख्या एक में इन्द्राज है। जिस पर मौके पर सभी पक्षकारान का अलग अलग हिस्सा बंटा

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हुआ है। उसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते है। जिसमें जवाब देहन्दा का 1/20 वां हिस्सा है जो मौके पर अलग से बंटा हुआ है और उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। पक्षकारान के आपस में बंट हुए हिस्सों का नजरी नक्शा भी जवाब प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। जिससे जवाब एक आवश्यक भाग माना जावें। काउण्टर प्रार्थनापत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि बेरा जाटावाली की जो आराजी है वह मौके पर पक्षकारान के पिछले 70-80 वर्षों आपसी बंटवाडा कर मौके पर काबिज है तथा उक्त सम्पूर्ण जाव का बंटवाडा सभी पक्षकारान् ने कर लिया जो बंटवाडा सभी पक्षकारान् ने आपसी सहमति से किया था और जाव की जमीन मे बंटवाडे के अनुसार कुऐं में हिस्सा व छड्रें सबके हिस्से अनुसार बंटी हुई है तथा रहवासी मकान भी बने हुए जो रहवासी मकान भी पक्षकारान् ने अपने अपने हिस्से मे बना लिये जाव की सम्पूर्ण कृषि भूमि हिस्से अनुसार बंटी हुई है एवं सभी प्राथीगण व अप्रार्थी के मध्य चूंदडी बंट से जमीन बंटी हुई है व सबका अलग अलग कच्चे व पक्के मकान, कुऐं बाड़े आदि सभी बने हुए है सभी अलग अलग निवास करते है परन्तु उक्त जाव केवल मात्र राजस्व रेकर्ड मे सामलाती है मौके पर 70 वर्षो से पक्षकारान् ने अपने मकान वगैरा बना लिये है। 70 वर्षो पूर्व पक्षकारान् के बीच आपसी सहमति से बंटवाडा हुआ था उसका नजरी नक्शा जबाब के साथ पेश है जिसमे आसमानी रंग से जबाब देहन्दा का हिस्सा दर्शाया गया है तथा एन एच 112 के लिये ख0नं0 216 की भूमि मे से जो भूमि अवाप्त हुई है वह भूमि केवल जबाब देहन्दा की जमीन अवाप्त हुई है दुसरे किसी अन्य हिस्सेदार की जमीन रोड में नही गई है और पूर्व मे सभी प्रार्थीगण ने यह कहा था कि जिसकी जमीन नेशनल हाईवे मे जायेगी वह उसका मुआवजा प्राप्त करेगा परन्तु अब मात्र राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की नियत मे खोट आ गई और वह अप्रार्थी को मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करने दे रहे है इस मंशा से आधारहीन तथ्यो पर आधारित यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जबकि कानून की भी यह मान्यता है कि यदि पक्षकारान् के बीच मे आपसी सहमति से यदि चूदडी बंट हो रखे हो तो कानूनन बंटवाडा माना जायेगा परन्तु प्रार्थीगण संख्या मे अधिक होने से [illegible]बल व लाठी के आधार पर अप्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल करना चाहते है। वास्तविकता यह है कि मौके पर जमीन जबाब देहन्दा की अवाप्त हुई मौके पर आज जबाब देहन्दा के पास अन्य हिस्सेदारी से हिस्सा भी कम है और उल्टा प्रार्थीगण उसे मुआवजा राशि भी प्राप्त नहीं करने दे रहे है इन तमाम तथ्यो से स्पष्ट है कि केवल मात्र मुआवजा राशि जबाब देहन्दा प्राप्त नही करे इस हेतू यह झुठा आधारहीन तथ्यों पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। काउन्टर प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि विवादित भूमि का प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड मे बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा [illegible] और आरोप अप्रार्थी जबाब देहन्दा पर लगा रहे है जबकि जबाब देहन्दा अ[illegible]राम [illegible] वर्ष 2018 मे राजस्व रिकॉर्ड मे कानूनन बंटवाडा करवाने के लिये [illegible] जिसमें प्रार्थीगण सहमत नही हो रहे है। जबकि जबाब देहन्दा की बंटवाडे की [illegible] आज भी श्रीमान् के न्यायालय में विचाराधीन है इस पद मे प्रार्थीगण द्वारा बेबुनि[illegible] आरोप लगाया कि जबाब देहन्दा अणदाराम विशिष्ट भू भाग अपना बताकर दुकानो का निर्माण कर रहा है जबकि सत्यता यह है कि जबाब देहन्दा किसी तरह का कोई दुकानों का निर्माण नही कर रहा है केवल मात्र अपनी कृषि भूमि को आवारा पशुओ से बचाने के लिये और

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

अपनी फसल नष्ट नहीं हो उसको बचाने के लिये केवल मात्र बाउण्डी वॉल का निर्माण कर रहा है और वह भी अपने हक हिस्से की आराजी मे दीवार निकाल रहा है जो पिछले 70 सालों से जबाब देहन्दा की अलग से बंटी हुई आराजी है। प्रार्थीगण आये दिन अपनी आराजी मे मकान बनाते है अन्य कई तरीके के निर्माण कार्य करते है जिसका जबाब देहन्दा ने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि जबाब देहन्दा को यह भली भांति जानकारी है कि उक्त सम्पूर्ण जाव का चूंदडी बंट से बंटवाडा पिछले 70 वर्षों से हो रखा है और सभी अपने अपने हिस्सो मे अपने अपने निर्माण कर रहे है, अपने कुऐ चला रहे है और अपनी आराजी मे काश्त कर रहे है परन्तु प्रार्थीगण जो कि संख्या मे व धनबल मे अधिक होने से अप्रार्थी जबाब देहन्दा को हैरान परेशान करने एवं उसको उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की नियत से झूठा आधारहीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण द्वारा इस पद मे यह तथ्य अंकित करना कि दिनांक 08/06/2020 को जबाब देहन्दा ने बंटवाडा करने से इंकार कर दिया उक्त तथ्य पूर्णतया झूठा व मनगढन्त है क्योकि जब अणदाराम स्वयं ने वर्ष 2018 मे ही बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत कर दिया तो राजस्व रेकर्ड मे कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने के लिये मना करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है मात्र प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की गरज से झुठे तथ्य अंकित किये है। काउन्टर प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि प्रार्थीगण व दीगर सहहिस्सेदारो या जबाब देहन्दा के बीच वादग्रस्त आराजी केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है परन्तु मौके पर उक्त आराजी का पिछले 70 वर्षो के अनुसार जो बंटवाडा चला आ रहा है उसी अनुसार सभी मौके पर कायम है परन्तु नेशनल हाईवे नम्बर 112 जिसमे ख0नं0 216 मे से केवल मात्र जबाब देहन्दा की भूमि अवाप्त हुई है और उसका मुआवजा अप्रार्थी जबाब देहन्दा को नही मिले इसलिए प्रार्थीगण ने जबाब देहन्दा पर झुठे मनगढन्त आरोप लगाया कि वह दुकानो का निर्माण कर रहा है जबकि केवल मात्र अपनी फसल को आवारा पशुओ से बचाने के लिये रोड की तरफ केवल दीवार बना रहा है जिससे उसके फसल को नुकसान नही हो। मौके पर जमीन अलग अलग बंटी हुई है मकान बने हुए है प्रार्थीगण इस पद मे यह तथ्य अंकित करना कि जबाब देहन्दा ने निर्माण बाबत् कोई भू रूपान्तरण नही करवाया, कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नही लिया तो प्रार्थीगण ने अपनी आराजी मे कई बडी बडी बिल्डिंगे बनायी वहां पर कई तरह के निमार्ण करवाये तो प्रार्थीगण ने भी कोई भू रूपान्तरण नही करवाया न ही कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जबकि जबाब देहन्दा तो मात्र अपनी फसल को बचाने के लिये दीवार बना रहा है तो उसमे भू रूपान्तरण करवाने या अनापति प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नही है क्योकि काश्तकारी कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अकेल अप्रार्थी जबाब देहन्दा को उसके हक हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल कर देते है उसे अपनी फसल आवारा पशुओ से बचाने के लिये जो दीवार बनाई जा रही है उस दीवार को प्रतिबंध देते है यदि कोई काश्तकार अपनी कृषि भूमि मे अपने कृषिकार्य के संबंध कोई डेवलपमेन्ट करता है तो वह कार्य अकृषिकार्य की परिभाषा मे नहीं आयेगी और उसी अनुरूप जबाब देहन्दा अपनी फसल को आवारा पशुओं को बचाने के लिये उक्त दीवार बना रहा है तो वह कार्य कृषि कार्य का ही भाग माना जायेगा। इस पद मे प्रार्थीगण द्वारा यह तथ्य अंकित किये कि जबाब देहन्दा ने जबरदस्ती निर्माण कार्य करवा रहा है, लडाई झगडा कर रहा है, दुष्कृत्य कर रहा है उक्त सम्पूर्ण आरोप बेबुनियाद और मनगढन्त है क्योक

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जबाब देहन्दा मात्र एक अकेला व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण संख्या व धनबल मे ज्यादा है उल्टा मौके पर प्रार्थीगण अप्राथी से लडाई झगडा कर रहे है उसके दीवार निर्माण बंद करवा दिया उसको हर रोज धमकीयां दी जा रही है। उसे मौके से बेदखल किया जा रहा है इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि जबाब देहन्दा को उसके हक हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण उसको काश्त नही करने दे रहे है मौके से बेदखल कर रहे है तो आज की तारीख मे अपूणीय क्षति प्रार्थीगण ज्यादा अप्राथी को हो रही है। इसलिए इन तमाम तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण मात्र झूठे व मनगढन्त तथ्यो पर आधारित यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज के है। काउन्टर प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का जबाब है कि समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, दस्तावेजात, मौके पर पिछले 70 वर्षो से चले आ रहे बंटवाडे, नजरी नक्शा के आधार पर प्रथम दृष्ट्रिया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थी जबाब देहन्दा के पक्ष मे बखुबी साबित है और यदि प्रार्थीगण धनबल व लाठी के आधार पर अकेले अप्रार्थी जवाब देहन्दा को उसके हक हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल कर देते है उसे अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिये जो दीवार बनाई जा रही हैं उस दीवार को प्रार्थीगण रूकवा देते है तो अप्राथी जबाब देहन्दा की फसल बर्बाद हो जायेगी एवं जबाब देहन्दा को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है। क्योकि जबाब देहन्दा एक किसान है उसका व उसके परिवार का पालन पोषण इसी कृषिभूमि से होता है और यदि वह फसल भी बर्बाद हो जाती है तो जवाब देहन्दा के पास अपने खाने कमाने के कोई साधन नही बचेगें इसलिए आज की स्थिति मे तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के बजाय जबाव देहन्दा के पक्ष मे बखूबी साबित होते है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमावे फरमाये।

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम– खिनावड़ी के खसरा संख्या 221 रकबा 16–18 बीघा, खसरा संख्या 211 रकबा 0–17 बीघा, खसरा संख्या 212 रकबा 09–04 बीघा, खसरा संख्या 213 रकबा 09–13 बीघा, खसरा संख्या 214 रकबा 01–14 बीघा, खसरा संख्या 215 रकबा 18–18 बीघा, खसरा संख्या 216 रकबा 156 बीघा, खसरा संख्या 222 रकबा 0–14 बीघा जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा, जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की संयुक्त शामलाती अवि[illegible]राजी है तथा जिसके कानूनन बंटवाड़ा बाबत् अप्रार्थी की और से [illegible] विचाराधीन है। प्रार्थीगण का कथन है, अप्रार्थी अणदाराम खसरा संख्या 216 [illegible] कि एन.एव.112 के चिपते हुए विशिष्ट भू–भाग पर बिना बंटवाड़ा के ही दुकानें बनाने [illegible]र आमदा है तथा निर्माण बाबत् भूमि रूपांतरण भी नहीं करवाया है। प्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है, अतः प्रथम–दृष्ट्या मामला उनके पक्ष में साबित होता है। अप्रार्थी/वादी अणदाराम ने जवाब प्रार्थना–पत्र एवं मौके के फोटोग्राफ प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त संयुक्त शामलाती आराजी मौके पर खातेदारान के हिस्से अनुसार बंटी हुई है तथा इसी माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(पाली)

सभी खातेदारान के आवासीय मकानात पशु बाड़ा, बाड़, मेड़बंदी व रास्ते बने हुए है। अप्रार्थी खसरा संख्या 216 में कोई दुकानें नहीं बनवा रहा है, वह केवल फसल एवं खेत की सुरक्षा के लिए मेड़ पर दीवार बनवा रहा है, जो अकृषि कार्य की श्रेणी में नहीं आता है, अप्रार्थी स्वयं सहखातेदार हैं, अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम-दृष्ट्या मामला नहीं बनता है।

उभयपक्षकारान द्वारा प्रकट कथनों, तर्कों एवं भू-अभिलेख एवं प्रस्तुत फोटोग्राफ के अवलोकन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि खसरा संख्या 216 सहित संपूर्ण वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की संयुक्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी है तथा यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सहखातेदारी आराजी में किसी भी खातेदार को अन्य खातेदार से विशिष्ट एवं अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। चूंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में खातेदारान् के मध्य बंटवाड़ें बाबत् वाद जैरकार है, अतः वादग्रस्त आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होनें तथा किसी प्रकार के नवीन निर्माण से प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। खातेदारान के लिए यह रहित होगा कि कानूनन अपने हक-हिस्से के बंटवाड़े उपरांत अपने हिस्से में नवीन निर्माण आदि का अन्य कार्य करें। अतः प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रत्येक सहखातेदार के हक हिस्से तक साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलन :- चूंकि पूर्व विवचेन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की अविभाजित आराजी है तथा ऐसी दशा में अपनें हक-हिस्से तक प्रत्येक सहखातेदार को उसके उपयोग एवं उपयोग करनें, उसे विकसित करनें तथा उसकी संरक्षा करनें का समान अधिकार निहित होता है तथा सहखातेदार के हक-हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके हक में निहित होता है। हस्तगत प्रकरण में सहखातेदारान के मध्य कानूनन अपने हक हिस्से के बंटवाड़े तक वर्तमान स्थिति को परिरक्षित करना आवश्यक है ताकि सुविधा का वर्तमान संतुलन असंतुलित न हो।

3. अपूर्णनीय क्षति :- पूर्व विवेचित दोनों बिंदू सभी सहखातेदारान् के पक्ष में स्थापित हुए है। वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की संयुक्त-अविभाजित आराजी है, जिसके प्रत्येक सहखातेदार को अपनें हक-हिस्से तक अपनें खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग का पूर्ण अधिकार होता हैं। यदि कोई सहखातेदार अपने हक-हिस्से से अधिक और अन्य सहखातेदार के हक-हिस्से का बलात् उपभोग उपयोग करता है, तो इससे प्रभावित सहखातेदार को अपूर्णनीय क्षति होना स्वभाविक है चाहे वो प्रार्थी हो या अप्रार्थी। अतः यह बिन्दू सभी सहखातेदारान् के पक्ष में उनके हक-हिस्से तक साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रत्येक सहखातेदार के पक्ष में उनके हक-हिस्से तक साबित होता है, अतः हम हस्तगत प्रकरण में सहखातेदारान के मध्य कानूनन बंटवाड़ा होने तक उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करनें, किसी प्रकार का अकृषि कार्य न करनें तथा नवीन निर्माण इत्यादि नहीं करनें हेतू पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता हैं। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी ग्राम- खिनावड़ी तहसील जैतारण कि खसरा नम्बर 221 रकबा 16–18 बीघा, खसरा नम्बर 211 रकबा 00–17 बीघा, खसरा नम्बर 212 रकबा 09–04 बीघा, खसरा नम्बर 213 रकबा 09–13 बीघा, खसरा नम्बर 214 रकबा 01–14 बीघा खसरा नम्बर 215 रकबा 18–18 बीघा, खसरा नम्बर 216 रकबा 156–08 बीघा खसरा नम्बर 222 रकबा 00–17 बीघा कुल खसरा 08 कुल रकबा 214–09 बीघा भूमि पर सहखातेदारान के वर्तमान कब्जे काश्त में कोई परिवर्तन नहीं करें, किसी भी सहखातेदारान के हक–हिस्से तक काश्त आदि में हस्तक्षेप नहीं करें, किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं करें, नवीन निर्माण इत्यादि नहीं करें तथा वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनाँक 05/01/2021 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:40 IST
Reason: SelfAttested